

NHB(ND)/ROD/SCB/Refinance Circular 4/2014-15  
Dated : 22-12-2014



To All Scheduled Commercial Banks ✓

Madam / Sir,

**Refinance Circular No. 4/2014-15  
Urban Housing Fund - Eligible Loans - Clarification**

It is clarified that under the Urban Housing Fund (UHF), the criteria with respect to size / cost of dwelling units is applicable only in respect of new units. The said criteria is not applicable in case of loans for repairs / renovation and upgradation of existing dwelling units.

All other terms and conditions under the Urban Housing Fund refinance scheme as applicable to Scheduled Commercial Banks as communicated from time to time shall continue to be applicable.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(V. Vaideswaran)  
Deputy General Manager  
Refinance Operations

एनएचबी(एनडी)/आरओडी/एससीबी/पुनर्वित्त परिपत्र 4/2014 - 15

दिनांक : 22-12-2014

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदया/महोदय,

पुनर्वित्त परिपत्र सं. 4/2014-15  
शहरी आवास निधि - पात्र ऋण - स्पष्टीकरण

यह स्पष्ट किया जाता है कि शहरी आवास कोष के तहत, आकार के संबंध में मानदंड / रिहायशी इकाइयों की लागत केवल नई इकाइयों के संबंध में लागू होता है। उक्त मानदंड मरम्मत / नवीकरण और मौजूदा आवास इकाइयों के उन्नयन के लिए ऋण के मामले में लागू नहीं है।

शहरी आवास निधि पुनर्वित्त योजना के तहत अन्य सभी नियम व शर्तें, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर यथा लागू हैं और जो समय-समय पर उन्हें सूचित किये गये हैं, लागू रहेंगे।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय,



(वी. वैदेश्वर)

उप महाप्रबंधक

पुनर्वित्त परिचालन विभाग